

No. of Printed Pages : 2

JUP-X

2019

वर्तमान परिदृश्य

The Present Day

निर्धारित समय : तीन घण्टे]

[पूर्णांक : 150

Time allowed : Three Hours]

[Maximum Marks : 150

- नोट : (i) अभ्यर्थी सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें।
(ii) प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं।
(iii) एक प्रश्न के सभी भागों का उत्तर अनिवार्यतः एक साथ दिया जाये।
- Note : (i) Candidates should attempt all the five questions.
(ii) All questions carry equal marks.
(iii) The parts of same question must be answered together.

1. (क) विधि के स्रोत के रूप में विधायन के महत्त्व की विवेचना कीजिए। विधायन एवं विधि के अन्य स्रोतों के बीच अन्तर स्थापित कीजिए। 15
- (ख) अधिकार की परिभाषा दीजिए और विधिक अधिकार के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। 15
- (a) Discuss the importance of legislation as a source of law. Differentiate between legislation and other sources of law.
- (b) Define right and discuss the ingredients of legal right.
2. (क) अंतर्राष्ट्रीय संधि की परिभाषा दीजिए तथा वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय विधि में संधियों के बढ़ते हुए महत्त्व की व्याख्या कीजिए। 15
- (ख) प्रत्यर्पण संबंधी विधि का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्रत्यर्पणीय अपराधों की प्रकृति की विवेचना कीजिए। 15
- (a) Define international treaty and explain the growing importance of treaties in modern international law.

- (b) Critically examine the law relating to extradition. Discuss the nature of extraditable crimes.
3. (क) संविधान के भाग तीन एवं चार में परिकल्पित सामाजिक न्याय की संकल्पना का परीक्षण कीजिए। 15
- (ख) संविधान के अनुच्छेद 370 की वर्तमान विधिक स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। 15
- (a) Examine the concept of social justice as envisaged in part three and four of the constitution.
- (b) Write a note on the present legal status of Article 370 of the constitution.
4. (क) उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ (2018) सु.को. 661 में दिये गये निर्णय पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। 15
- (ख) उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है ? 15
- (a) Write a detailed note on the decision given by Supreme Court in Government of NCT of Delhi Versus Union of India (2018) S.C.C. 661.
- (b) What is the method of appointment of judges in High Courts and Supreme Court of India ?
5. (क) संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम, 2019 पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। 15
- (ख) भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी (रिटायर्ड) बनाम भारत संघ (2017) 10 SCC 1 के बाद में दिये गये निर्देशों को लिखिए। 15
- (a) Write a critical note on 103rd Constitutional Amendment Act, 2019.
- (b) Write the directions given by Supreme Court of India in the case of Justice (Retd.) K.S. Puttaswamy V. Union of India. (2017) 10 SCC 1.